संख्या - 1013/13/78-स्था0 (क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली -110001, दिनांक 1978

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964-किसी सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अपनी निधि में से संव्यवहार (ट्रांसक्शन्स) ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर इस विभाग से यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी की निजी निधि से भिन्न उसके पति/पत्नी और परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी निजी निधि (जिसमें स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि शामिल हैं) में से किए गए संव्यवहार पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्ध लागू होते हैं अथवा नहीं । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की निजी निधि से भिन्न उसके पति/पत्नी और परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी निजी निधि(जिसमें स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि शामिल हैं) में से अपने नाम और अपने अधिकार में किए गए संव्यवहार पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 के उपनियम (2) और (3) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

2- ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए तदनुसार गृह मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1959 के का0 ज्ञा0 संख्या 25/13/59 स्था0 (क) के पैरा 2(11) को संशोधित समझा जाए ।

(आर0 सी0 गुप्ता)
उपसचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।